राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

मनोज कुमार, भा0प्र0से0
कार्यपालक निदेशक

पत्रांकः SHSB/NRC/2008/Part-VI/...113...

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार।

पटना, दिनांक...08/4/2020...

विषयः पोषण पुनर्वास केन्द्र पर COVID-19 के संक्रमण से बचाव संबंधी दिशा–निर्देश के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक कहना है कि राज्य में नोवेल कोरोना Pandemic के दौरान पोषण पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु दिशा निर्देश (Guidance Note) पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जा रही है जिसका अनुपालन निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है–

- राज्य सरकार के द्वारा COVID-19 के संक्रमण के बचाव से संबंधित समय–समय निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए, संलग्न दिशा निर्देश को शत–प्रतिशत लागू किया जाये।
- प्रोटोकोल के अनुसार एवं नियमित अंतराल पर बच्चों का चिकित्सीय जाँच किया जाना।
- पोषण पुनर्वास केन्द्र में बच्चे के अतिरिक्त अनावश्यक लोगों का प्रवेश वर्जित करना ।

इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाये।

विश्वासभाजन,

(मनोज कुमार)

अनुलग्नकः दिशा निर्देश।

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाषः 0612–2290328, फैक्सः 0612–2290322, वेबसाइटः www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

मनोज कुमार, भा0प्र0से0
कार्यपालक निदेशक

पत्रांकः SHSB/NRC/2008/Part-VI/.....

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार।

पटना, दिनांक.....

विषयः पोषण पुनर्वास केन्द्र पर COVID-19 के संक्रमण से बचाव संबंधी दिशा–निर्देश के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक कहना है कि राज्य में नोवेल कोरोना Pandemic के दौरान पोषण पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु दिशा निर्देश (Guidance Note) पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जा रही है जिसका अनुपालन निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है–

- राज्य सरकार के द्वारा COVID-19 के संक्रमण के बचाव से संबंधित समय–समय निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए, संलग्न दिशा निर्देश को शत–प्रतिशत लागू किया जाये।
- प्रोटोकोल के अनुसार एवं नियमित अंतराल पर बच्चों का चिकित्सीय जाँच किया जाना।
- पोषण पुनर्वास केन्द्र में बच्चे के अतिरिक्त अनावश्यक लोगों का प्रवेश वर्जित करना ।

इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाये।

विश्वासभाजन,

ह०/

(मनोज कुमार)

अनुलग्नकः दिशा निर्देश।

ज्ञापांकः 113 पटना, दिनांकः 08/4/2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
4. विभागाध्यक्ष, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला योजना समन्वयक, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
6. पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, बिहार को सूचनार्थ एवं जिला नोडल पदाधिकारी–NRC को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।

8/4/20

कार्यपालक निदेशक

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाषः 0612–2290328, फैक्सः 0612–2290322, वेबसाइटः www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

पोषण पुनर्वास केन्द्र पर COVID-19 संक्रमण से नियंत्रण के उपाय

- **हाथ धोने की आदत को प्रोत्साहित करें:–**
  - बच्चों को खाना खिलाने से पहले और बाद में, शौच के बाद तथा किसी बाहरी वस्तु के छूने पर साबुन पानी के साथ 40 सेकेंड तक हाथ अवश्य धोएँ अथवा –>70 % अल्कोहल आधारित सानिटाइजर से हाथ को 20 सेकेंड तक आवश्यक रूप से सेनिटाईज करें।
  - हाथ धोने की विधि प्रदर्शन वाले पोस्टर को पोषण पुनर्वास केन्द्र में हाथ धोने के स्थान पर डिसप्ले किया जाना सुनिश्चित करें।
- **चिकित्सकीय जाँच और उपचार :–**
  - पोषण पुनर्वास केन्द्र में चिकित्सकीय जटिलताओं वाले अति गंभीर कुपोषित बच्चों को ही भर्ती किया जाना है।
  - पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती बच्चों का दिन में दो बार बुखार खांसी या सांस लेने में कठिनाई संबंधित जाँच करें और तापमान रिकॉर्ड करें। साथ ही पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती बच्चों के देखभालकर्ताओं का भी नियमित स्वास्थ्य जाँच एवं तापमान रिकार्ड कर Screening करें।
  - प्रोटोकॉल के अनुसार सभी बच्चों को एंटी–बायोटिक की खुराक देना सुनिश्चित करें।
  - खांसी, निमोनिया, बुखार अथवा COVID-19 के लक्षणों की निगरानी करें और यदि किसी में संकेत दिखाई दे तो, चिकित्सा प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक उपचार सुनिश्चित करें।
  - संक्रमण के जोखिम कम करने हेतु यदि भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों में चिकित्सकीय जटीलता समाप्त हो गयी हो एवं लगातार तीन दिनों तक >5gm/kg/day वनज में वृद्धि प्राप्त हो रही है तो NRC से जल्दी छुट्टी दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।
  - गंभीर कुपोषित बच्चों अथवा देखभालकर्त्ता में COVID-19 के संक्रमण की पुष्टि की स्थिति में उन्हें अलग कर Isolation Centre में रखते हुए COVID-19 के दिशानुसार स्वास्थ्य सेवाएँ दिया जाना चाहिए।

- **अति–गंभीर कुपोषित बच्चों और देखभालकर्त्ताओं का पोषणः–**
  - 6 माह से अधिक उम्र के बच्चों और देखभालकत्ताओं को अधिक पानी पीने हेतु परामर्श दें।
  - पुनर्वास की स्थिति (Rehabilitation Phase) वाले अति गंभीर कुपोषित बच्चों तथा देखभालकर्त्ताओं के भोजन में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने हेतु खट्टे फलों, पीले फल और सब्जियों, साबुत अनाज और दालों का अधिकतम उपयोग करें।
- **व्यक्तियों की बची दूरी बनाये रखें :–**
  - पोषण पुनर्वास केन्द्र में व्यक्तियों के बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी आवश्यक रखें।
  - पोषण पुनर्वास केन्द्र में दो बेड के बीच में कम से कम 2 मीटर की दूरी रखें।
  - पोषण पुनर्वास केन्द्र में अनावश्यक आगन्तुकों के प्रवेश पर निषेध हो।
  - महिलाओं को समूह में परामर्श देने के स्थान पर व्यक्तिगत परामर्श दें।
- **श्वसन संबंधी स्वच्छता का पालनः–**
  - सामान्य गतिविधियों के दौरान सभी कार्यकर्त्ता श्वसन स्वच्छता का अभ्यास (अपने मुँह एवं नाक पर मास्क का प्रयोग) आवश्य करें।
  - बच्चे अथवा देखभालर्त्ता को सर्दी, खांसी से ग्रसित होने पर उन्हें भी मास्क का प्रयोग करायें।
- **सामान्य स्वच्छता संबंधी निर्देशों का पालनः–**
  - पोषण पुनर्वास केन्द्र में उचित साफ–सफाई का ध्यान रखें और फर्श को अस्पताल में सफाई हेतु उपयोग लाये जाने वाले डिटरजेन्ट, लाईजोल या 1% सोडियम हाईपोक्लोराईड से साफ कर कीटाणु रहित बनाये रखें।
  - पोषण पुनर्वास केन्द्र में प्रोटोकॉल के अनुसार चादरों की साफ–सफाई रखें, गन्दा अथवा गीला होने पर तुरंत बदलें, और मैकिनतोश (Mackintosh) का प्रयोग करें।

- रोजमर्रा के उपकरणों जैसे थर्मोमीटर, एन्थ्रोपोमेत्रिक उपकरणों इत्यादि को 70% इथाइलअल्कोहल के द्वारा कीटाणु रहित बनायें।
- मेज, कुर्सी दरवाजे के हैंडल को बार–बार न छूने दें और इन्हें भी प्रतिदिन कीटाणु रहित बनाये।
- पोषण पुनर्वास केन्द्र में स्वच्छ पानी हेतु Water filter/RO की उपलब्धता सुनिश्चित करें। यदि आर0 ओ0 उपलब्ध नहीं हो तो उबाल पानी का उपयोग करें।
- सभी देखभालकर्त्ताओं और बच्चों के भोजन हेतु अलग–अलग बर्तनों की व्यवस्था करें और उनकी नियमित सफाई सुनिश्चित करें।
- अति गंभीर कुपोषित बच्चों और देखभालकर्त्ताओं को शौचालय के उचित उपयोग हेतु परामर्श दें और शौचालय की नियमित सफाई करवाएँ।
- यथा संभव डायपर के प्रयोग को मना करें, अत्यंत आवश्यक होने पर इनको बेड–पैन में एकत्र कर इनका सुरक्षित निपटारा करें और बेड–पैन को सोडियम हाईपोक्लोराइट (1%) से साफ कर कीटाणु रहित बनाये रखें।
- डस्टबिन को क्लोरिन अथवा अन्य कीटाणु रोधी से नियमित साफ करें।
- बच्चों के खेलने हेतु सिर्फ धोये जा सकने वाले खिलौनों का प्रयोग करें तथा एक बच्चे के खेलने के बाद दूसरे बच्चे को खिलौना साबुन और गर्म पानी से धोने के उपरांत ही उपलब्ध करवायें।
- उपचारात्मक भोजन बनाने के दौरान पूर्ण स्वच्छता का पालन करें। भोजन बनाने के दौरान टोपी, एप्रन, दस्ताने का प्रयोग करें और भोजन पकाने और परोसने के बर्तनों को विसंक्रमित (Sterilize) कर लें।

पोषण पुनर्वास केन्द्र पर भर्ती के दौरान और छुट्टी के समय देखभालकर्ताओं को COVID-19 के लक्षणों और बचाव से संबंधित जानकारी प्रदान करें।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार